ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 50-51

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

भारत में महिला सशक्तिकरण

1. प्रो0 राजेश कुमार सिंह
2. कु0 नीतू सिंह

1. आचार्य, 2. शोध अध्येत्री– राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

Received-06.04.2024, Revised-13.04.2024, Accepted-18.04.2024 E-mail: nitus1913@gmail.com

सारांशः स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात् स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना जाता है। इस सृजन की शक्ति को विकसित–परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण है। दूसरे शब्दों में – महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, तॉकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सकें। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

कुंजीभूत शब्द– महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक स्थिति, अमलीय जामा, मानव जाति।

डॉ0 ओजस्विनी जौहरी की 2019 में प्रकाशित पुस्तक ''महिला सशक्तिकरण'' में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित विविध पहलुओं को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। प्रारम्भिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाता था और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, महिलाओं को समाज द्वारा सम्मानित किया जाता था। हिन्दू धर्मग्रन्थों में भी नारी को देवी माना गया है। जहाँ वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थी, उस समय ऋषियों की पत्नियाँ अपने पतियों के साथ अध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले सकती थी, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही जीवन जीने को मिलता था। वेदों द्वारा समाज को दी गयी ये शिक्षाएं पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के अच्छे उदाहरण थे, लेकिन बाद के वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी विशेषकर महिलाओं की स्थिति जो प्रारम्भिक वैदिक काल में समान थी बाद में नीचे की ओर आ गई। एक समय ऐसा आया जब महिलाओं को शरीर ढकने वाला घुँघट अपनाना पड़ा जिससे उनकी स्वतंत्रता पर असर पड़ा। यही कारण है कि इसने समाज में कई अन्य बुराईयों को जन्म दिया जिससे महिलाओं का जीवन जीना और भी कठिन हो गया। सती प्रथा, जौहर, और लड़कियों के लिए शिक्षा न देना, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह और भी बहुत कुछ ऐसे प्रतिबंध थे लेकिन जैसे–जैसे समय बितता गया समाज बदलाओं के साथ विकसित होता गया और महिलाओं की भूमिका सभी क्षेत्रों में जैसे– सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक में बढ़ती जा रही है महिलाएं पहले की अपेक्षा सशकत हो रही है और महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने भी नई–नई नीतियाँ तथा कार्यक्रम विकसित किये है। इसी के साथ न्यायपालिका भी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। वास्तव में महिला सशक्तिकरण हेतु तैयार की गयी नीति सराहनीय है, परन्तु वास्तविक धरातल पर अभी भी महिलाओं के विकास हेतु पूर्ण रूप से उनको अमलीय जामा नहीं पहनाया जा सका है। लिंगभेद, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, अपहरण, दहेज हत्या इत्यादि ऐसी समस्याएँ है।

जिन्होंने समाज में एक विकराल रूप धारण कर रखा है। अपनी नीजी स्वतंत्रता और स्वयं का निर्णय लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। परिवार और समाज की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए अपने विचार, अधिकार स्वतंत्रता तथा निर्णय लेते हुए अपने आप को परिपक्व बनाना, महिला सशक्तिकरण का प्रमुख लक्ष्य है। समाज में सभी क्षेत्रों में पुरुषों व महिलाओं दानों को बराबरी पर लाना होगा। देश समाज और परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। महिलाओं को स्वच्छ और उपर्युक्त वातावरण की जरूरत है जिससे की वह हर क्षेत्र में स्वयं के लिए निर्णय ले सके। भारतीय सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गये है जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े वैसे हर क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी बढ़ती जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा कई सारी कल्याणकारी योजनाएँ बनायी जा रही है जो इस प्रकार है :

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
- प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना।
- सुकन्या समृद्धि योजना।
- महिला उद्यमिता नीधि योजना
- कस्तुरबा गाँधी योजना।

भारत देश में आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसलिए देश को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाने के लिए महिला सशक्त होना बहुत जरूरी है। 8 मार्च को सम्पूर्ण विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकता जबतक महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने महिला दिवस पर कहा था कि ''देश की तरक्की के लिए पहले हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा।'' एक बार जब महिला अपना कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, राष्ट्र विकास की और बढ़ता है। भारत के संविधान में लिए गये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से सम्पूर्ण भारत

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ईश्वरचन्द विद्यासागर ने अपने लगातार प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की शुरूआत करवायी।

उद्देश्य –

1. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को जानना।
2. महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना।
4. महिलाओं की समस्याओं के प्रकार, स्तर तथा प्रतिरूप को जानना।
5. समाज में लैंगिक भेदभाव को समझना।
6. महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच उनपर नियन्त्रण और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष– उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। महिलाओं की सभी क्षेत्रों में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, समाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में वास्तविका भागीदारी बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएँ, कार्यक्रम बन रहे है। उनको वास्तविक धरातल पर लागू करने की आवश्यकता है, तॉकि महिलाएँ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, उनको पूरी तरह स्वतंत्रता मिले और वे अपना स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम बन सके। जब महिलाएँ आगे बढ़ती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। समाज के उत्थान और समग्र रूप से समाज की भलाई के लिए दोनों लिंगों को समान अवसर प्रदान करनी चाहिए। महिलाएँ दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और हर देश में लैंगिक असमानता मौजूद है। जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर नहीं दिये जाते, तब तक पूरे समाज को उनकी वास्तविक क्षमता से कम प्रदर्शन करने के लिए नियत किया जायेगा। सशक्तिकरण का सबसे अच्छा तरीका महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले सरकार की पहल पर्याप्त नहीं होगी। जब वे आय और सम्पत्ति से सम्पन्न होगी, तॉकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके और समाज में अपनी पहचान बना सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. http://hi.m.wikipedi.org>wiki
2. https://timesofindia.indiatimes.com>...
3. https://www.ijsrst.com>paper
4. https://www.socialresearchfoundation.com>...
5. https://successcds.net>essays
6. https://www.aajtak.in
7. https://cmcldp.org>userfiles

*****